[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

******

अधिसूचना

सं. 69 /2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स (इलेक्ट्रोनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेग्युलेशन, 2010 में और आगे भी संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स इलेक्ट्रोनिक डिक्लेरेशन एंड) (प्रोसेसिंगअमेंडमेंट रेग्युलेशन,201 8 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स रेग्युलेशन (इलेक्ट्रोनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग),2010 में, विनियम 2 के उपविनियम (2) में,-

(i) उपवाक्य (ख) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि यह उपवाक्य 5 लाख रूपये मूल्य तक के खेप में और विदेशी मुद्रा में होने वाले संव्यवहार में मेर्केंडाइस एक्सपोर्ट फ्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट 3 ग में अधिसूचित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा;";

(ii) उप- उपवाक्य (ग) में, उप- उपवाक्य (ii) में, दोनों ही स्थानो पर जहां जहां भी शब्द "पच्चीस हज़ार" आए हो वहाँ वहाँ उनके स्थान पर शब्द " पाँच लाख" शब्दो को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा .सं. 450/4/2013- सीमा शुल्क IV]

जुबैर रियाज़

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 36/ 2010-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 05.05.2010 को सा.का.नि. 385 (अ), दिनांक 05.05.2010 के तहत भारत के राजपत्र,

असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, सा.का.नि. 296 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संसोधन किया गया है।